समक्ष श्रीमान माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

सागर (म0प्र0)

निग0 / 3580 – II – 15

बंसिया तनय दलुआ अहिरवार

निवासी ग्राम छेवला गंगाराम तह. हटा जिला दमोह म0प्र0

...............आवेदक

/ / विरूद्ध / /

हरिदास तनय दलुआ अहिरवार

निवासी ग्राम रसीलपुर तह. हटा जिला दमोह म0प्र0

..............अनावेदक

प्र.क्र. ता0पेशी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू0रा0सं0 1959

आवेदक की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :–

उपरोक्त आवेदक अतिरिक्त कमिश्नर द्वारा प्र.क्र. 495 / अ–70 / 2013–2014 पारित आदेश दिनांक 24.08.2015 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है :–

/ / संक्षिप्त तथ्य व सार / /

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक व अनावेदक सगे भाई है। आवेदक व अनावेदक के पिता दलुआ अहिरवार के नाम से ग्राम छेवला में गंगाराम प.ह.न. 57 रा0नि0 मंडल हटा में स्थित भूमि खसरा नं. 209 / 1 रकवा 0.25 हे0 पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थी उक्त भूमि का बटवारा व्यवस्थापन इकरारनामा दिनांक 20.03.2012 द्वारा आवेदक के पक्ष में कर दिया गया। उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक हरिदास द्वारा जबरन कब्जा कर लिये जाने पर संहिता की धारा 250 के तहत आवेदक ने आवेदन पत्र

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3580-II/15 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.3.16	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया। अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दि. 24-8-15 में यह स्पष्टतः लिखा है कि अनु. अधि. के आदेश दि. 11.2.14 की प्रतिलिपि आवेदक को दि. 29.4.14 को प्राप्त हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने दि. 6-6-14 को, विलम्ब से अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त के समक्ष, तथा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी मेमो में भी, आवेदक द्वारा इस विलम्ब के कोई आधार या कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसे में अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दि. 24-8-15 को सही पाता हूँ और यथावत रखता हूँ। निगरानी खारिज करता हूँ। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। (हस्ताक्षर) 4.3.16 (सदस्य)	